

कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिए समुद्र तट व्यवसायों के लिए स्वास्थ्य नियम



सामान्य शर्तें



प्रशासन द्वारा तैयार किए गए फॉर्म सभी आने वालों को देना चाहिए जिसमें उन्हें व्यक्तिगत जानकारी भरने के लिए कहा जाए और समुद्र तटों और पर्यटक सुविधाओं में प्रवेश करने से पहले फॉर्म में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें, विशेष रूप से पर्सनल डेटा (नाम, संपर्क नंबर और पता), और पिछले 14 दिनों के बारे में निम्नलिखित सवालों के जवाब दें।

नाम,
संपर्क नंबर
और पता


क्या आपको इनमें से कोई समस्या है?

बुखार | खांसी | थकान | सांस लेने में
तकलीफ | सुगंध महसूस ना करना | स्वाद
महसूस ना करना | गले में सूजन या जलन

क्या आप इन लक्षणों वाले किसी
व्यक्ति के संपर्क में थे या किसी ऐसे
व्यक्ति के संपर्क में थे जो कोरोना
वायरस (COVID-19) से
संक्रमित था?

क्या आप किसी ऐसे
व्यक्ति के साथ रहते हैं जो
सेल्फ-आइसोलेशन में है?

यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर **हाँ** में देता है, तो प्रशासन को उसे प्रवेश करने से रोकना चाहिए।



समुद्र तट पर आने वाले लोगों और वहाँ के कर्मचारियों को उपर बताया गया फॉर्म भरना होगा।

समुद्र तट पर जाने वाले लोगों को दूसरों के संपर्क में आने पर मास्क पहनना चाहिए और अनुपालन न करने की स्थिति में उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जगह छोड़ कर जाने के लिए कहा जाए।

कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिए समुद्र तट व्यवसायों के लिए स्वास्थ्य नियम



प्रशासन अपने कर्मचारियों को व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता की पाबंदी कराए।



प्रशासन को इन्फ्रारेड थर्मामीटर (Infrared Thermometer) से कर्मचारियों और समुद्र तट पर आने वाले लोगों के तापमान की जांच करनी चाहिए।



प्रशासन उस व्यक्ति को प्रवेश करने से मना कर दे जिसका तापमान (37.5) डिग्री सेल्सियस हो या अधिक हो या जिस में (COVID-19) के लक्षण हों। वह व्यक्ति वहाँ से तुरंत चला जाए और 444 पर कॉल करे।



प्रशासन को प्रवेश द्वार पर और तट के आसपास विभिन्न स्थानों पर सैनिटाइज़र (कम से कम 70% अल्कोहल युक्त) रखना चाहिए।



सभी कर्मचारियों को हर समय दस्ताने और मास्क पहनने चाहिए।



प्रशासन को कर्मचारियों के फोन नंबरों का रिकॉर्ड रखना चाहिए।



प्रशासन को प्रवेश और निकास द्वार पर आने जाने के रास्ते का निर्धारण करने के लिए साइनबोर्ड का उपयोग करना चाहिए, और हर समय सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करना चाहिए।



यह बताने के लिए के एक ग्रुप में अधिकतम 5 लोग एकत्रित हो सकते हैं, प्रशासन को अलग-अलग स्थानों पर साइन बोर्ड लगाने चाहिए।



प्रशासन को स्वच्छता जागरूकता और हाथ धोने के तरीकों पर पोस्टर लगाने चाहिए। (स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है)।



समुद्र तट पर आने वाले लोगों को (चाहे वे अकेले हों या ग्रुप में हों) कर्मचारी उन्हें अपने बीच (2) मीटर की दूरी बनाए रखने के निर्देश दें।



लोगों के बीच संपर्क कम करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए सीटों को फिर से व्यवस्थित करें।



प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी स्थानों को साफ और कीटाणुरहित किया जाए और दैनिक किराए पर दिए जाने वाले सामान प्रत्येक उपयोग के बाद कीटाणुरहित किए जाएं।



प्रशासन को तौलिये (80) डिग्री या उससे अधिक गर्म पानी से धोना चाहिए (लेकिन उबलते पानी से नहीं धोना चाहिए)।



प्रशासन को अगले सूचना तक बाथरूम, सोना रूम, चेंजिंग रूम और अन्य सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले स्थानों (शौचालयों को छोड़कर) को बंद रखना चाहिए।

कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिए समुद्र तट व्यवसायों के लिए स्वास्थ्य नियम



प्रशासन को प्रत्येक उपयोग के बाद शौचालय को अच्छी तरह से साफ करवाना चाहिए, काम पूरा होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कीटाणुरहित करना चाहिए, और समुद्र तट पर आने वाले लोगों के व्यक्तिगत सामानों का उचित तरीके से निपटान करना चाहिए।



प्रशासन को हर जगह पर्याप्त संख्या में कचरे के डिब्बे का प्रबंधन करना चाहिए और समय-समय पर कचरे को साफ करना चाहिए।



समुद्र तट पर पर्यटक सुविधाएं और दुकानें सामान बेच सकती हैं, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों और सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमों का पालन करना होगा, और ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे खरीद के दौरान ग्राहकों की सहायता करें ताकि उनका वहां की वस्तुओं से कम से कम संपर्क हो, और यदि कोई व्यक्ति कुछ खरीदना चाहता है, तो उसे प्रतीक्षा करते समय ज़मीन पर लगाए गए स्टिकरों पर खड़ा होना चाहिए।



प्रशासन को अपने अधीन सभी रेस्टोरेंट और अन्य भोजन और पेय पदार्थ विक्रेताओं को केवल बाहरी ऑर्डर (Take Away) की अनुमति देनी चाहिए।



सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवसायों इस कानून के प्रावधानों के अनुसार संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा जांच और निरीक्षण के अधीन होंगी।



इस कानून में निर्धारित नियमों और शर्तों को लागू करने में असमर्थ सभी व्यवसायों अपने तटीय क्षेत्रों को बंद रखेंगी।